



F - 07 - 07

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION
IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु - 560 037
MARATHAHALLI COLONY P.O
BENGALURU - 560 037

वर्ग अनुमोदन सं . 1957/ Type Approval No. 1957
मद/FOR ITEM: डी ई-फ्यूलिंग वाल्व, पार्ट सं.1458 00 000/
DE - Fuelling Valve, Part No.: 1458 00 000

यह प्रमाणित किया जाता है कि एरोस्पेस सिस्टम्स एंड इक्विपमेंट रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर (ए एस ई आर रडी सी), मेसर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, असेसरीज़ प्रभाग, लखनऊ - 226 016, द्वारा अभिकल्पित, विकसित तथा उत्पादित "डी ई-फ्यूलिंग वाल्व" पार्ट सं.: 1458 00 000 को जनरल असेंब्ली आरेखन सं.: 1458 00 000-113, इश्यू सं.: 1, दिनांक 20 फरवरी 2016 के अनुसार लाइट यूटिलिटी हेलिकॉप्टर (एल यू एच) में उपयोग हेतु उत्पादन के लिए अनुमोदित किया जाता है। यह आर सी एम ए (लखनऊ), लखनऊ - 226 016, की रूपरेखाओं से तकनीकी विनिर्देश दस्तावेज़ सं.: आरसी/एलयूएच/डीएसपी/टीएस/213, इश्यू-1, रिविज़न 'बी', दिनांक 31 मई 2013 और टाइप टेस्ट शेड्यूल (टी टी एस) दस्तावेज़ सं.: 1458 00 000-154, इश्यू सं.: 1, दिनांक 16 सितंबर 2014, के अनुसार परीक्षित किया गया है। यह परिशिष्ट 'ए' में संलग्न वर्ग रिकार्ड कम्प्लायन्स स्टेटमेंट में विवरित आवश्यकताओं को पूर्ण कर चुका है।

This is to Certify that the "DE - Fuelling Valve" bearing the Part No.: 1458 00 000 designed, developed and manufactured by Aerospace Systems & Equipment Research and Design Centre (ASERDC), M/s Hindustan Aeronautics Limited, Accessories Division, Lucknow - 226 016, is hereby approved as per General Assembly Drawing No.: 1458 00 000 - 113, Issue No.: '1', dated: 20th February 2016 for use in Light Utility Helicopter (LUH). It has been tested as per Technical Specification Document No.: RC /LUH /DSP / TS /213, Issue '1', Revision 'B', dated 31st May 2013 and Type Test Schedule (TTS) Document No.: 1458 00 000 - 154, Issue No.: 1, dated 16th September 2014 as outlined by RCMA (Lucknow), Lucknow - 226 016. It has met the requirements as detailed in type record compliance statement enclosed at Appendix 'A'.

2. इस वर्ग अनुमोदन को जारी करने के फलस्वरूप उत्पाद को प्रदत्त अंतरिम निकासी सूपरसीड होती है। इसके उत्पादन के लिए अपनाई विधि को अब से सील कर दिया जाता है। उपरोक्त वर्ग अनुमोदन संख्या को सभी संलग्न आरेखन संविदा तथा रिलीज़ नोट्स में उल्लेखित किया जाना चाहिए।

The Provisional Clearances accorded for this product are hereby superseded consequent to issuance of this Type Approval. The process adopted to manufacture this product is sealed henceforth. The Type Approval number quoted above must be reflected in all relevant drawings, contracts & release notes.

3. यह वर्ग अनुमोदन 30 जून 2023 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्थ या रद्द नहीं किया जाता, और इसके बाद में इसका नवीकरण करवाना होगा। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (03) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर सी एम ए (लखनऊ), लखनऊ – 226 016, से अनुरोध करना होगा।

This Type Approval is valid up to 30th June 2023 unless otherwise cancelled or suspended or revoked and will have to be renewed subsequently. The vendor shall request RCMA (Lucknow), Lucknow – 226 016, for subsequent renewal, three (03) months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback.

4. अगर इस टाइप रिकॉर्ड के एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु – 560 037 की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।

Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru – 560 037, will have to be obtained to adopt any changes in the SOP and in the declared performance indicated in the Type Record. The Type Approval is not at all transferable to any other agency.

5. यह वर्ग अनुमोदन, थोक उत्पादन के लिए डी.जी.क्यू.ए, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण पक्ष की निकासी एवं स्पष्ट रूप से दर्शाए गए प्रोसेस के कड़े अनुपालन पर आधारित है।

This approval is contingent upon strict adherence to the process demonstrated and the quality control aspects of bulk production being cleared by DGAQA, Ministry of Defence, Government of India.

संलग्न/Encl.: परिशिष्ट 'ए' / Appendix 'A'


सं./No.: सेमिलैक/CEMILAC/5070/ टी.ए/TA – 1957

दिनांक/Date: 28 June 2018

फैक्स सं./Fax No.: 080 – 2523 0856

26th June 18

HR
26/6/18


पी . जयपाल/ P. JAYAPAL
उत्कृष्ट वैज्ञानिक/ Outstanding Scientist
मुख्यकार्यपालक(उड़नयोग्यता)/
Chief Executive (Airworthiness)